प्रेषक,

बाबूराम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार नई दिल्ली,

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर 2006

विषयः– बी0एस0एस0 एजूकेशनल एकाडमी अम्बेडकरनगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्वता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन आपत्ति नहीं है :–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्वता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिक्षा परिषदों से संबद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारिया का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय, बस्ती (उ0प्र0)
Kendriya Vidyalaya, Basti (U.P.)

PRINCIPAL
V.S. Educational Academy
Ambedkar Nagar

प्राचार्य
PRINCIPAL
जवाहर नवोदय विद्यालय डाभासेमर
Jawahar Navodya Vidyalya Dabhasemar
फैजाबाद Faizabad

MANAGER
V.S.S. Educational Academy
Akbarpur,Ambedkar Nagar

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन /परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(बाबू राम)
अनु सचिव

पृ0सं0 /15–07–2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ
2– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद।
3– जिला विद्यालय निरिक्षक, अम्बेडकरनगर।
4– निरिक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
5– प्रबन्धक, बी0एस0एस0एजूकेशनल एकाडमी अम्बेडकरनगर।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(बाबू राम)
अनु सचिव

प्राचार्य
PRINCIPAL
जवाहर नवोदय विद्यालय डाभासेमर
Jawahar Navodya Vidyalya Dabhasemar
फैजाबाद Faizabad

PRINCIPAL
V.S.S. Educational Academy

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय, बस्ती (उ0प्र0)
Kendriya Vidyalaya, Basti (U.P.)

MANAGER
V.S.S. Educational Academy
Akbarpur, Ambedkar Nagar